

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन, गोंवों के संग अभियान 2021 कैम्प चौड़

प्रकरण संख्या / 758/21

प्रशासन गावा क संग अभियान-2021

दिनांक :- 29-10-2021

उनवान

श्री केसरा पुत्र खीतर रेगर

वनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,
पटवारी हल्का चौड़ भू. अ. नि. शास्कराट्ट एवं नायब तहसीलदार
/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चौड़ प. ह. चौड़
...की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 43 में
प्रार्थीगण की प्रविष्टि केसरा पुत्र खीतर रेगर
के स्थान पर केसरा पुत्र खीतर रेगर
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश
जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

h
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री केसरा पुत्र खीतर रेगर
3. रक्षित पत्रावली

h
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा